<table>
<tr><th colspan="2">बिहार विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न</th></tr>
<tr><td>श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न डायरी संख्या-1/209/1398
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</td><td>माननीय मंत्री,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।</td></tr>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत, ग्राम हलुआर मनियापर, पंचायत–खजुरिया, अंचल–बरौली, थाना–सिधवलिया की शृंगारो देवी, पति–हरूनी राम का दिनांक-03.02.2025 को आग लगने से पूरा शरीर जल गया था;</td><td rowspan="5">जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतका श्रृंगारो देवी के मामले में उपलब्ध प्राथमिकी रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृतका की उम्र क्रमश: 75 वर्ष एवं 60 वर्ष अंकित है तथा मृत्यु की तिथि 03.02.2025 से लगभग डेढ़ माह बाद दिनांक- 25.03.2025 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जो परस्पर विरोधाभाषी है। मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके अभाव में मृत्यु का वास्तविक कारण संदेहास्पद होने की स्थिति में जाँचोपरान्त जिला पदाधिकारी द्वारा इससे संबंधित अभिलेख अस्वीकृत कर दिया गया है। फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान अनुमान्य/देय नहीं है।</td></tr>
<tr><td>(ख) क्या यह सही है कि घायल शृंगारो देवी को उपचार हेतु दिनांक-03.02.2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़ौली ले जाया गया, जहाँ स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी, बड़ौली द्वारा इलाज हेतु सदर अस्पताल, गोपालगंज रेफर कर दिया गया;</td></tr>
<tr><td>(ग) क्या यह सही है कि मृतक शृंगारो देवी को सदर अस्पताल, गोपालगंज के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसका आपातकालीन पर्ची संख्या–3682, दिनांक–03.02.2025 है, गोपालगंज में उपचार के दौरान शृंगारो देवी की दिनांक 03.02.2025 को ही मृत्यु हो गई;</td></tr>
<tr><td>(घ) क्या यह सही है कि जलकर मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान है, जिससे मृतक के परिजन अब तक वंचित हैं;</td></tr>
<tr><td>(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक के परिजनों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान कबतक करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?</td></tr>
</table>

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक-05/वि०स०-याचिका-08-03/2025..................../आ०प्र०   **पटना-23, दिनांक-**

प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक-सं०का०-01/वि०मं०(प्रश्न) 03/2023-339 दिनांक-22.05.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-05/वि०स०-याचिका-08-03/2025..3667......./आ०प्र०   **पटना-23, दिनांक**- 06-10-25

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/10

सरकार के संयुक्त सचिव